



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-29092025-266536
CG-WB-E-29092025-266536

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4314]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 2025/आश्विन 7, 1947

No. 4314]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 2025/ASVINA 7, 1947

रेल मंत्रालय

[पूर्व रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

कोलकाता, 29 सितम्बर, 2025

का.आ. 4438(अ).— केंद्रीय सरकार, रेलवे (अमेण्डमेंट) अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खण्ड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, “सुल्तानगंज-कटोरिया वाया असरगंज, तारापुर और बेलहर नई लाइन ” परियोजना के भूमि अधिग्रहण हेतु भागलपुर, मुंगेर और बांका जिला में लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित कराने हेतु, बिहार राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. मु. प्र. अ./जि./ भू./326]

पी. के. शर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS
[Eastern Railway (Construction Department)]
NOTIFICATION

Kolkata, the 29th September, 2025

S.O. 4438(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008 the Central Government hereby notifies “**Sultanganj-Katuria via Asarganj, Tarapur & Belhar New Line**” as a **Special Railway Project** for acquisition of land in Bhagalpur, Munger & Banka District in the State of Bihar, for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. CAO/Con/L/326]

P. K. SHARMA, Chief Administrative Officer/Con.